

‘हालांकि, भाजपा की सरकार है, हम जातिगत जनगणना का विधेयक पास करायेंगे?’

राहुल गांधी ने लोकसभा में यह उद्घोष करके चुनौती दी सरकार को

— रेणु मिश्रा —
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 29 जुलाई। राहुल गांधी उस समय पूरे जोश-खरोश में दिखाई दिये, जब वे लोकसभा में बजट पर बोलने खड़े हुए। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया, बजट की आलोचना की तथा भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि देश में भले ही भाजपा की सरकार हो, लेकिन जातिगत सर्वे कराने वाला विधेयक तो पारित होगा।

भाजपा को बिल्कुल स्तब्ध करते हुये, राहुल ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि सत्तारूढ़ दल को देश की करीब 73 प्रतिशत जनता की कोई चिन्ता नहीं है। इस 73 प्रतिशत हिस्से में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब तथा गरीबों में पद-दलित वर्ग के लोग आते हैं।

उन्होंने कहा कि ये 73 प्रतिशत लोग यह जानना चाहते हैं कि देश की सत्ता में उनका क्या हिस्सा है तथा वे इस सत्ता-तन्त्र के लाभार्थी तथा हिस्सा कैसे

■ राहुल का तर्क था कि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से, 73 प्रतिशत को शिकायत है कि, दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, आदिवासी, निर्धन से सरकार को कोई सहानुभूति नहीं है।

■ अतः 73 प्रतिशत जनसंख्या यह जानना चाहती है कि उनकी सत्ता में कितनी भागीदारी है और वो कैसे लाभान्वितों की श्रेणी में आ सकते हैं और सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं।

■ राहुल गांधी ने यह कटाक्ष भी किया कि वो बीस अफसर, जिन्होंने बजट तैयार किया है, उस उपेक्षित 73 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

■ इन अफसरों ने बजट के पहले हलवा बनाने की प्रक्रिया तो पूरी की, पर, वह हलवा वंचित जनसंख्या में नहीं बांटा।

■ राहुल ने स्पीकर से यह भी कहा कि पत्रकारों को उस शीशे के पिंजरे से आज़ाद करें, क्योंकि वे अब सांसदों, मंत्रियों से लोकसभा के प्रवेश द्वार पर “बाइट” नहीं ले सकते, क्योंकि, वो केवल वही रिपोर्ट कर सकते हैं, जो पिंजरे से दिखाता है।

हो सकते हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि इस बजट को बनाने वाले 20 अफसरों में इन सभी जातियों और वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था। उनके द्वारा बजट-पूर्व तैयार किये गये हलवे को इस आवादी के साथ साझा नहीं किया गया था। उन्होंने हलवा-सैरमनी के दौरान

अफसरों के साथ वित्तमंत्री का फोटोग्राफ भी दिखाया।

लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी।
राहुल ने अंबानी तथा अडाणी परिवार के अपने प्रिय विषय को एक बार फिर हथियार बनाते हुये कहा कि

जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु घेर लिया गया है, उसका नियन्त्रण छः लोग कर रहे हैं।

जब लोकसभा अध्यक्ष ने अडाणी तथा अम्बानी के नाम लेने पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब वे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘निर्देशों का पालन भर्ती एजेंसी और परीक्षार्थी का दायित्व’

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा भर्ती-2024 से जुड़े मामले में कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा के निर्देशों की पालना करना भर्ती एजेंसी व परीक्षार्थी दोनों का ही दायित्व है। भर्ती परीक्षा की

■ हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए आर.जे.एस. परीक्षा के अभ्यर्थी पायल व अन्य की याचिका खारिज कर दी। इन अभ्यर्थियों ने ओ.एम. आर. शीट में अधूरे भरे गोलों को पूरा भरने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की थी।

ओ.एम.आर. शीट को जांचने का काम मशीन करती है और इसमें अधूरे छोड़े गए गोलों को मशीन नहीं पढ़ सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी यह व्यवस्था दे चुका कि हाईकोर्ट भर्ती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ऑफ इयूटी काम में करंट लगने पर क्लेम नहीं मिलेगा’

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। जिले की स्थाई लोक अदालत ने ऑफ इयूटी में अवैध तरीके से बिजली लाइन का काम करने के दौरान करंट लगने वाले संविदाकर्मी को राहत देने से इनकार करते हुए उसका 90.50 लाख रुपए का क्लेम खारिज कर दिया है। लोक अदालत ने फैसले में कहा कि परिवादी ने बिजली लाइन का काम बिना किसी आदेश व इयूटी के अपनी पत्नी

■ जिले की स्थाई लोक अदालत ने बिजली विभाग के संविदा-कर्मी का 90.50 लाख रुपए का क्लेम खारिज कर दिया और कहा कि वह कार्य से बाहर बिजली का काम कर रहा था, यह हादसा उसकी लापरवाही से हुआ है।

से किया है और उसे बिजली लाइन का शट डाउन प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं था। उसे केवल जी.एस.एस. परिसर में ही काम करने के लिए संविदा पर रखा था, लेकिन उसने अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर अवैध तौर पर बिजली लाइन का काम किया और उस समय ही उसे करंट लगा। ऐसे में हादसा उसकी लापरवाही से हुआ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने का झारखण्ड हाई कोर्ट के आदेश बरकरार रखा तथा ई.डी. की याचिका खारिज कर दी

—डॉ. सतीश मिश्रा —
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 29 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत प्रदान की और झारखंड उच्च न्यायालय से सोरेन को जमानत के सौदे में मनीलॉगिंग के मामले में जमानत देने के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के खिलाफ दायर एनफोर्सेमेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) की याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस बी.आर.गवई और जस्टिस के.वी.विश्वनाथन की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू जो की ई.डी. का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये कहा कि हम इस आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि, हम यह स्पष्ट कर दें कि हाईकोर्ट के जज ने तर्कसंगत फैसला सुनाया तथा हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल या अन्य कार्यवाही पर असर नहीं होगा। “बेंच की टिप्पणी

■ सुप्रीम कोर्ट ने ई.डी. पर तीखी टिप्पणी की, हम कुछ कहना नहीं चाहते अगर हमने आगे कुछ कहा तो आप मुश्किल में आ जाएंगे।

■ ज्ञातव्य है कि जमीन के सौदे में मनी लॉगिंग के आरोप में ई.डी. ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। सोरेन ने गिरफ्तारी से पूर्व मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया तथा जमानत पर रिहा होने के बाद 4 जुलाई को वे पुनः झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं।

से ई.डी. को भारी झटका लगा है। राजू ने यह बताने का प्रयास किया कि ई.डी. द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व लॉडरिंग एक्ट के सैक्शन 50 के तहत रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयानों पर यकीन ही कर रहे हैं जो गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तीखी टिप्पणी भी की, “हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अगर हमने कुछ कहा तो आप मुश्किल में पड़ जायेंगे।” सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई.डी. की याचिका खारिज कर देने से झारखंड

मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष को भारी राहत मिली है जिन्होंने 31 जनवरी को ई.डी. द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस रस में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने पर 04 जुलाई को सोरेन ने पुनः मुख्यमंत्री पद को शपथ ली। ई.डी. के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था कि अगर सोरेन को जमानत दी गई तो वे ऐसा ही अपराध पुनः करेंगे उन्होंने ई.डी. के खिलाफ एस.सी./ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘देश में भय का माहौल है, पर, हम भाजपा के इस चक्रव्यूह को ध्वस्त करेंगे’

राहुल गांधी ने लोकसभा में यह भी कहा कि चक्रव्यूह को नष्ट करने के प्रयास में अभिमन्यु मारा गया था, हम अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं, जो अपने प्रयास में पूर्णतया सफल होगा

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 29 जुलाई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की नीतियों पर प्रहार करने के लिए महाभारत की लोकप्रिय कहानी का हवाला देकर कहा कि केन्द्र सरकार किसानों, विद्यार्थियों, मध्यम व लघु व्यवसायियों, तथा मध्यम वर्ग की जनता की तकलीफों के लिए जिम्मेदार है। गांधी ने हिंदी जो भारत के एक बड़े तबके की भाषा है, में बोलते हुए कहा, “परंतु ये लोग अभिमन्यु की तरह नहीं है, ये तो अर्जुन हैं और ये लोग चक्रव्यूह को तोड़ देंगे।”

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते हुए गांधी ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के कर्षी की तुलना प्राचीन भारत के “चक्रव्यूह” की संरचना से की।” महाभारत के अर्जुन का पुत्र चक्रव्यूह के जाल में फंस जाता है और अंत में मारा जाता है।

■ राहुल गांधी ने इस कथन को आगे ले जाते हुए यह भी कहा कि, मैंने चक्रव्यूह के बारे में काफी रिसर्च की है और यह पाया है कि उस महाभारत के चक्रव्यूह का नाम “पद्म व्यूह” भी है, जिसका मतलब, इसका स्वरूप कमल जैसा है।

■ “आज इक्कीसवीं सदी का चक्रव्यूह भी कमल के आकार का है, जिसे प्र.मंत्री ने अपनी छाती पर धारण किया हुआ है।”

■ तथा, जिन छः कौरव महारथियों ने अभिमन्यु को घेर कर मार दिया था, वही आज भाजपा के महारथी नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी व अडाणी, भारत की 73 प्रतिशत दलित जनता के साथ करना चाहते हैं।

गांधी ने कहा कि “हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में छः लोगों ने अभिमन्यु को “चक्रव्यूह” के जाल में फंसाया था और उसको जान से मार दिया था। राहुल ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर शोध

कर यह निष्कर्ष निकाला कि “चक्रव्यूह” को “पद्म व्यूह” नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है “कमल स्वरुप।” “चक्रव्यूह” कमल की आकृति में बनाया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के साथ पक्षपात का और केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्य सरकार पर “मिसमैनेजमेंट” का आरोप लगाया

—लक्ष्मण वेंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 29 जुलाई। इन दिनों कर्नाटक सरकार और केन्द्रीय वित्त मंत्री के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री पर राज्य को किए गए बजट आवंटन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जो कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं, ने कांग्रेस नीत कर्नाटक सरकार पर भारी भ्रष्टाचार और राज्य की अर्थव्यवस्था को बरबाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य सरकार की खराब नीतियों से अर्थव्यवस्था बर्दाश्त हो गई है। सरकार एक तरफ तो खुले हाथ से मुफ्त सुविधाएं दे रही है दूसरी तरफ उनके लिए पैसा जुटाने हेतु आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा रही है। केन्द्रीय वित्त मंत्री पर करारा पलटवार करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वे बजट आवंटन पर झूठ बोल

रही हैं। केन्द्र सरकार वित्तीय मुद्दों पर लगातार प्रदेश सरकार के साथ अन्याय कर रही है। भाजपा, कर्नाटक को भ्रष्ट राज्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है जबकि वास्तविकता एकदम अलग है। उन्होंने वित्तीय भेदभाव के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस का आह्वान किया। उन्होंने सीतारमन से

■ कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, वित्त मंत्री राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे जब भी आती हैं, झूठ बोलती हैं और बजट आवंटन पर भी झूठ बोल रही हैं। बजट से पहले जो वायदे किए गए थे, उनका कहीं भी उल्लेख नहीं है।

■ इसके जवाब में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार व आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा, यू.पी.ए. के दस साल के राज में कर्नाटक को मात्र 60,779 करोड़ रुपए मिले, जबकि एन.डी.ए. सरकार ने गत वर्ष तक राज्य को 2.36 लाख करोड़ दिए थे।

कि विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए फंड नहीं है जैसे अपर भद्रा प्रोजेक्ट।

मुख्यमंत्री ने पूछा, “पंद्रहवें वित्त आयोग ने विशेष अनुदान के रूप में 5,495 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की थी। क्या बजट में यह राशि है? कहा गया था कि बैंगलुरु में रिंग रोड के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जलाशयों के लिए 3,000 करोड़ रुपए देने की बात थी, क्या यह सब है बजट में।”

आंध्र प्रदेश और बिहार पर की गई विशेष मेहरबानियों का हवाला देते हुए सिद्धारमैया ने हैरानी जताई की कर्नाटक पर इतनी कृपा क्यों नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि क्या आप जानते हैं कि पंद्रहवें वित्त आयोग में सबसे ज्यादा अन्याय कर्नाटक के साथ हुआ जबकि खुद वित्त मंत्री राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर चोरी के आरोपी को मिली जमानत रद्द

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर चोरी के मामले में आरोपी गौतम गर्ग को मिली जमानत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को कहा है कि वह तीस दिन में निचली अदालत में सरेंडर करे। जस्टिस प्रवीर भटनागर की

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने कर चोरी के आरोपी गौतम गर्ग की जमानत रद्द करने के साथ उसे तीस दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।

एकलपीठ ने ये आदेश केन्द्र सरकार की ओर से दायर जमानत रद्द करने के लिए पेश की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में जीएसटी के वरिष्ठ अधिवक्ता किशुक जैन ने अदालत को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुकेश अंबानी विश्व के सबसे बड़े आम निर्यातक बने

पेट्रोलियम, दूर संचार और खुदरा क्षेत्र के अलावा कृषि क्षेत्र में भी रिलायंस का भारी दखल

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 29 जुलाई। मुकेश अंबानी, जो पेट्रोलियम, टेलीकम्यूनिकेशन तथा रिटेल के क्षेत्र में बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में प्रसिद्ध हैं, अब अप्रत्याशित रूप से कृषि क्षेत्र की ओर मुड़ गये हैं। रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, उनके प्रबंधक-कौशल के फलस्वरूप विश्व में आमों के सबसे बड़े निर्यातक का रूप ले चुकी है। उद्योग क्षेत्र, जो उनके व्यवसाय का मूल था, से उल्लेखनीय रूप से हटते हुये, वे कृषि क्षेत्र में विशिष्टता अर्जित करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। 1997 में गुजरात की अपनी जामनगर रिफाइनरी में उल्लेखनीय प्रदूषण-परिवर्तनों का सामना करते हुये, रिलायंस इन्डस्ट्रीज ने एक अभिनव प्रतिक्रिया दी थी। पर्यावरण संबंधी प्रभावों को संबोधित करते हुये तथा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों-

■ रिलायंस के कृषि क्षेत्र में उतरने की शुरुआत हुई 1997 से, जब प्रदूषण के कारण जाम नगर रिफाइनरी के लिए चुनौती खड़ी हो गई थी।

■ प्रदूषण से निजात पाने के लिए रिलायंस इन्डस्ट्रीज के रिफाइनरी के आस-पास की जमीन को आम के विशाल बाग में बदल दिया गया, जिसका नाम धीरूभाई के नाम पर रखा गया।

■ इस बाग में आम की 200 किस्मों के 1.30 लाख वृक्ष हैं, जिनमें भारत की लोकप्रिय किस्मों के अलावा विदेशी किस्में भी शामिल हैं।

तथा शुष्क परिस्थितियों में फलने-फूलने के लिये, रिलायंस ने कर्टिंग एज टेक्नॉलॉजी काम में ली गई है, जिसमें मोटे पानी के लिये डीसेलिनेशन प्लांट भी शामिल है। इसके अलावा, उन्नत कृषि तकनीकें, जैसे वॉटर हार्बेस्टिंग, ड्रिप सिंचाई तथा पर्याप्त उर्वरक आदि काम में लिये गये।

रिलायंस एशिया की अग्रणी आम-निर्यातक कम्पनी के रूप में उभरी है तथा देश-विदेश के बाजारों की माँग पूरी कर रही है। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय होगा कि ‘फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (एफ.ए.ओ.) के अनुसार, आमों की माँग हर वर्ष 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। एफ.ए.ओ. के एक अनुमान के अनुसार, 2030 तक दुनिया में आम का कुल उत्पादन बढ़कर 840 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच जायेगा। इसमें से आधा उत्पादन भारत में होगा। थाइलैंड तथा इन्डोनेशिया भी प्रमुख दक्षिण एशियाई आम निर्यातक के रूप प्रतिष्ठित हो चुके हैं। अन्य किसी देश की तुलना में, भारत में आमों की खपत ज्यादा होगी - भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आम का उपभोग 28.4 किग्रा. होतावै। आम के उत्पादन के अतिरिक्त, रिलायंस कम्पनी स्थाई एवं सामुदायिक विकास के उन्नयन में भी

सक्रिय योगदान देती है। कम्पनी प्रतिवर्ष आम की 1,00,000 पौध स्थानीय किसानों को वितरित करती है, कृषि के नये-नये तरीकों एवं पद्धतियों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती हैं तथा कृषक समुदाय में पर्यावरणीय-प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। कम्पनी की यह पहल कृषि के उन्नत एवं नये-नये तरीकों की रिलायंस की व्यापक भूमिका को रेखांकित करती है। आम की खेती क्षेत्र में मुकेश अंबानी का प्रवेश यह स्वित्स्तर बताता है कि बड़े-बड़े कॉर्पोरेट आर्थिक ग्रोथ को पोषित करते हुये पर्यावरण सम्बन्धी चुनौतियों के समाधान के मामले में अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी लाखीबाग भावना को मूर्त रूप देती है, बल्कि कृषि-निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व तथा स्थाई महत्व के प्रति उसकी भावना की एक बार फिर से पुष्टि करती है।

बारामूला में विस्फोट, चार लोगों की मौत

श्रीनगर, 29 जुलाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में विस्फोट को घटना सामने आई है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बारामूला के सोपोर इलाके में अचानक हुए विस्फोट में चार लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद

■ इस घटना के पीछे आतंकियों का हाथ होने के संदेह के कारण मौका स्थल पर सेना और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

इलाके में हड़कंप मच गया है। सेना और पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई है और इलाके की छानबीन की जा रही है। अभी धमाके के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार, विस्फोट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)